

## केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों - जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं - का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी "कर तरजीह" भी कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात् इनकी एक लागत होती है) और ये सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का 'कर व्ययों' के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं वरन् सक्षमता और पारदर्शिता का है - कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परित्यक्तों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम षीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय, कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबन्ध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विवसनीयता प्राप्त हुई।

इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबन्ध-12 के रूप में तथा 'परित्यक्त राजस्व का विवरण' नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले छः वर्षों की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है, जो केन्द्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान कर अधिमानताओं की अधिकांश मदों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2010-11 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों के आधार पर जो 2011-12 के संग्रहण संबंधी अंतिम आंकड़ों के आधार पर प्रक्षेपित किए गए थे, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने का एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

### प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

### क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2010-11 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2011-12) के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक 4,59,270 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2011-12 में अनुमानित कुल निगमित विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2010-11 में उनकी आय पर 2,28,158 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 15,928 करोड़ रूपए लाभांश वितरण कर देय की भी सूचना दी है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 4,59,270 कम्पनियों के आंकड़ों को विलेखण हेतु डाटाबेस से चुना गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विलेखण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:-

- 2,66,347 कंपनियों (57.99 %) ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए अपने लेखाओं के अनुसार कर पूर्व 9,46,731 करोड़ रूपए लाभ तथा 6,23,572 करोड़ रूपए कुल कर योग्य आय ('कुल आय') की सूचना दी थी।
- 1,61,596 कंपनियों (35.19 %) ने 2,03,564 करोड़ रूपए की हानि की सूचना दी है।
- 31,327 कंपनियों (6.82 %) ने न्यून लाभ की सूचना दी है।

संपूर्ण नमूने का प्रभावी कर दर<sup>3</sup> 24.10 था<sup>4</sup> [2009-10 में सूचित 23.53 प्रतिशत के समक्ष]। कारपोरेट की प्रभावी कर दर क्रमागत रूप से बढ़ती रही है (2006-07 में 20.55%; 2007-08 में 22.44%; 2008-09 में 22.78%; 2009-10 में 23.53% तथा 2010-11 में 24.1%)। यह लाभ से जुड़ी कटौतियों और कंपनियों पर अधिकतम वैकल्पिक करों को धीरे-धीरे समाप्त करने का परिणाम है।

#### सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2010-11) (नमूना आकार-4,59,270)

क्रम सं.	करों से पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	शून्य से कम	161596	0.00	0.27	0.208	-	-
2	शून्य	31327	0.00	4.22	1.86	-	-
3	0-1 करोड़ रूपए	237580	2.95	3.47	3.29	80.81	26.77
4	1-10 करोड़ रूपए	22627	7.22	7.52	7.82	71.73	26.08
5	10-50 करोड़ रूपए	4403	9.92	9.45	10.24	65.71	24.87
6	50-100 करोड़ रूपए	735	5.43	4.99	5.45	63.45	24.21
7	100-500 करोड़ रूपए	763	16.55	15.73	16.86	65.52	24.55
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	239	57.92	54.36	54.28	64.72	22.59
9	सभी नमूना कंपनियां	459270	100.00	100.00	100.00	68.96	24.10

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। शून्य से कम, शून्य और शून्य से 20 प्रतिशत औसत प्रभावी दर वाली 2,46,213 कर पूर्व कुल लाभ का 41.85 प्रतिशत, कुल कर पूर्व आय का 20.31 प्रतिशत, तथा कुल प्रदत्त कर का 25.74 प्रतिशत बैठता है। 42, 087 कम्पनियों, जिनका कुल लाभ 11.45 प्रतिशत और कुल कर 18.80 प्रतिशत था, की प्रभावी कर दर सांविधिक दर की अपेक्षा अधिक थी। यह आयकर अधिनियम के तहत कतिपय व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा के नामे डाले जाने को अस्वीकृति दिए जाने के कारण है।

1 वित्त वर्ष 2009-10 के लिए नमूना आकार 4,27,811 था।

2 आयकर विवरणियों में 'कुल आय' शब्द का अर्थ कर योग्य आय है, अर्थात् लेखा पुस्तकों के अनुसार आयकर अधिनियम के अंतर्गत अधिदेय भत्तों और गैरभत्तों से यथा समायोजित आय।

3 कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभकर शामिल नहीं है) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

4 लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 25.78 प्रतिशत थी।

## सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर की रूपरेखा\* (वित्तीय वर्ष 2010-11) (नमूना आकार-4,59,270)

क्रम सं.	प्रभावशाली कर दर (प्रतिशत में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	176808	2.25	0.34	0.21
2	0-20	69405	39.60	19.97	25.53
3	20-25	16868	12.75	11.73	11.62
4	25-30	25652	16.73	20.00	18.97
5	30-33.21	97123	17.22	24.48	23.02
6	>33.21	42087	11.45	19.27	18.80
7	अनिर्धारण	31327	0	4.22	1.86
8	सभी नमूना कंपनियां	459270	100.00	100.00	100.00

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (पीएसयू केवल) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। पिछले वर्ष के उलट, निजी क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की प्रभावी कर दर थोड़ी अधिक थी।

## सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2010-11) (नमूना आकार-459270)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	2113	21.95	20.30	22.28
2	निजी	457157	78.05	79.70	24.61
	योग	459270	100.00	100.00	24.10

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के प्रभावी कर दरों मध्य में तुलना दर्शायी गई है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 33.21 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

## सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2010-11) (नमूना आकार-458696)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	121276	48.43	49.92	24.83
2	सेवा	337420	51.57	50.08	23.40
	योग	458696	100.00	100.00	24.10

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं। नमूना आकार अन्य सारणियों से थोड़ा कम है क्योंकि कुछ विवरणियों की पी एस यू पताका देखे नहीं गए थे।

सारणी 5 वित्त वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान हुए राजस्व परित्याग के संबंध कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। इन कम्पनियों द्वारा दावा किए गए प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना प्रत्येक छूट राशि पर 33.21 प्रतिशत की कम्पनी कर दर लागू कर के की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास, कटौती/ भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती के कारण हुए राजस्व परित्याग की गणना पहले कम्पनियों के लाभ एवं हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यहास/ कटौती एवं आयकर अधिनियम के तहत

अनुमत मूल्यहास/ कटौती के बीच के अन्तर की गणना करके की जाती है। तत्पश्चात्, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े पर आने के लिए इस अंतर पर 33.21 प्रतिशत की निगम कर दर लागू किया गया है।

राजस्व परित्याग का दूसरा पहलू है कर-आस्थगन। कर-आस्थगन की स्थिति तब पैदा होती है जब करदाता, कर कानूनों के अंतर्गत उसे भारी कटौती दिये जाने के कारण, अपनी कर देयता की इस दावे के साथ आस्थगित कर सकता है कि उसे केवल कम समय के लिए कटौती का लाभ दिया जा रहा है (हास लाभ) जबकि वह अपने खाते में कई वर्षों से हास का दावा कर रहा है। चूंकि हास का अभिप्राय नकद हानि से नहीं है अतः यह एक प्रकार से कर का आस्थगन ही है। दूसरी ओर कर विधियों के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी) एक देयता (वर्ष 2010-11 के लिए) प्रकट करती है, जो कि ऐसे लाभ पर 20% की दर से होती है जो कम्पनी अपने शेयर होल्डरों को बताती है (कुछ समायोजनों के अधीन) और यदि यह देयता उस कर देयता से अधिक है जिसकी संगणना सामान्य दर (वर्ष 2010-11 के लिए कर योग्य आय पर 33.22% की दर से) पर की गई हो। एम ए टी के कारण पैदा होने वाली अतिरिक्त देयता को अगले वर्ष 10 वर्षों तक के लिए, जब सामान्य देयता एम ए टी से अधिक हो जाती है तो, क्रेडिट के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार एम ए टी के कारण भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के लिए यह माना जायेगा कि भविष्य की कर देयता का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। यह मूल्य हास के कारण किये गये दावे के आधार पर कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है और अन्य कटौतियों जैसे कि लाभ संबंधित कटौतियों पर राजस्व परित्याग को सरल बनाता है ऐसा इसी दावे को लम्बी अवधि के लिए मांग कर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के राजस्व परित्याग के आंकड़े प्रक्षेपित किये गये हैं। वर्ष 2011-12 का प्रक्षेप 2011-12 के प्रत्येक कर प्रोत्साहन में वर्ष 2011-12 के निगम कर संग्रहण की विकास दर का गुणा करके तैयार किया गया है। अतः सारणी 5 में वित्तीय वर्ष 2010-11 के कर प्रतित्याग की दृष्टि से निगम करदाताओं पर बड़े कर के कारण आने वाले खर्च को तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रक्षेपण को दर्शाया गया है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार 459270)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2010-11)	दर्शाया गया राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2011-12)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	7839	शून्य *
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	100	शून्य *
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	7432	8153
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	50	शून्य *
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	51	शून्य *
6	निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	3114	शून्य *
7	बढ़ा हुआ मूल्य हास (धारा 32)	33243	36468
8	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1) (2कक) एवं (2ख(क))	4685	5139
9	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती(धारा 35कग)	103	113
10	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	669	734
11	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक )	1	1
12	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	6	7
13	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
14	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	3303	3623

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2010-11)	दर्शाया गया राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2011-12)
15	विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	345	378
16	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	2325	2550
17	विद्युत के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	7581	8316
18	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	270	296
19	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	981	1076
20	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	98	108
21	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	209	229
22	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	386	423
23	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	65	71
24	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेंशन सेंटर से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	शून्य	शून्य
25	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	73	80
26	खनिज तेल के उत्पादन से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	3626	3978
27	आवास परियोजनाओं से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	928	1018
28	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झख)	3	3
29	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	28	31
30	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	64	70
31	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से आहरित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	8	9
32	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	1055	1157
33	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	204	224
34	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	2726	2990
35	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	1650	1810
36	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 जजक)	41	45

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2010-11)	दर्शाया गया राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2011-12)
37	नए कामगारों को राजगारों के संबंध में कटौती (धारा 80 अत्रकक)	48	53
38	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80उक)	18	20
<b>39</b>	<b>योग :</b>	<b>83328</b>	<b>79173</b>
40	घटा: एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर देयता एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता: 29388 घटा: पिछले वर्षों के एम ए टी भुगतान मोड के कारण दावा की गई क्रेडिट: 3972	25416	27881
<b>41</b>	<b>निवल परिव्यक्त राजस्व</b>	<b>57912</b>	<b>51292</b>

\* कटौती 31.3.2011 से खत्म कर दी गई है।

विभिन्न क्षेत्रों में, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्को (एसटीपी), निर्यातोन्मुख उपक्रमों (ईओयू), विद्युत एवं दूर संचार क्षेत्रों के लिए कटौतियों का कुल कर परित्याग में क्रमशः 13 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत हिस्सा है।

पिछले वर्ष की विवरणी में वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एसईजैड में स्थित यूनितों के निर्यात लाभ पर राजस्व परित्याग 5,126 करोड़ रुपए निरूपित किया गया था। तथापि, इन यूनितों के लिए उसी वर्ष के दौरान वास्तविक राजस्व परित्याग की अब गणना 7,432 करोड़ रुपए की गई है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए इन्हीं यूनितों के लिए 8,153 करोड़ रुपए की कटौती होने का अनुमान किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 में कटौती में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2011-12 में वास्तविक राजस्व परित्याग अनुमान से अधिक हो सकता है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्नतर रेंज में आई टी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइडर्स एवं बी पी ओ सर्विस प्रोवाइडर्स तथा साफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसियों की प्रभावी कर दर क्रमशः 19.32 प्रतिशत एवं 19.05 प्रतिशत पर है।

### ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2010-11 की आय के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसम्बर, 2011 तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से 5,02,141 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 5,02,141 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2010-11 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बहुत बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 70,880 करोड़ रुपए की सूचना दी (नमूना के तकरीबन 8.63 प्रतिशत हानि की सूचना दी गई) तथा 57,726 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए संदेय आयकर के रूप में (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 17,134 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर दर<sup>5</sup> 24.17 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर कर परित्याग की गणना द्वारा कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। पहले लाभ में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ एवं हानि के खातों एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर का निर्धारण करके त्वरित मूल्यहास, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती तथा

5. फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभ (पीबीटी) के संदत्त कुल कर (शिक्षा उपकर सहित) का अनुपात होता है तथा एक प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं/ योजनाओं पर व्यय के लिए कटौती की मद में राजस्व परित्याग की गणना की गई है। तत्पश्चात्, परित्यक्त राजस्व के आंकड़े निकालने के लिए इस अंतर पर 30.90 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है।

यद्यपि संदत्त कर की दृष्टि से नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ऐसी कुल संस्थाओं के 90 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करती है, इन नमूना फर्मों/ एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग को इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग के रूप में लिया गया है। इस सीमा तक परित्यक्त राजस्व कम आंका गया हो सकता है।

वित्त वर्ष 2010-11 के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2011-12 के वित्त वर्ष की राजस्व परित्याग का आकलन किया गया है। वर्ष 2011-12 का अनुमान 2010-11 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर होने वाले राजस्व परित्याग को 2011-12 में फर्म/एओपी/बीओआई से एकत्रित कर में अनुमानित बढ़ौतरी से गुणा कर के लिया गया है। तालिका 6 वित्त वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान गैर कारपोरेट करदाताओं पर होने वाले मुख्य कर व्यय पर होने वाले राजस्व परित्याग को दर्शाती है। उच्चतम कर व्यय, आवासीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ में कटौती के दावों के कारण जो कुल राजस्व परित्याग के 31.59% हुआ।

**सारणी 6 : वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान नमूना फर्मों /एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार-502141)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2010-11)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2011-12)
1	एसटीपीआई यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	119	शून्य *
2	ईएचटीपी यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	शून्य *	शून्य *
3	सेज में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क और 10कक )	354	412
4	ईपीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	7	शून्य *
5	एफटीजेड में स्थित यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10क)	1	शून्य *
6	निर्यातोन्मुखी यूनिटों (ईओयू) यूनिटों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ख)	358	शून्य *
7	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	569	663
8	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) एवं (2खक)	6	7
9	जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर व्यय की कटौती (धारा 35कग)	26	30
10	धर्मार्थ न्यास और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	40	47
11	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छछक )	शून्य	शून्य
12	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	1	1
13	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों अथवा पोत अथवा होटल व्यवसाय के लाभों की कटौती (धारा 80झ)	शून्य	शून्य
14	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	17	20
15	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	68	79
16	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	2	2
17	विद्युत के उत्पादन, वितरण और पारेषण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	69	80
18	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	3	3
19	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में सेज के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	8	9
20	लघु क्षेत्र में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	18	21



क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2010-11)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2011-12)
21	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	63	73
22	जम्मू एवं कश्मीर से भिन्न औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	30	35
23	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	10	12
24	मल्टीप्लेक्स थिएटर और कन्वेंशन सेंटर से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	शून्य	शून्य
25	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	शून्य	शून्य
26	खनिज तेल के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	शून्य	शून्य
27	आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	1950	2271
28	शीत श्रेणी सुविधा के परिचालन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	1	1
29	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	3	3
30	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	13	15
31	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इख)	3	3
32	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	345	402
33	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	554	645
34	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	368	429
35	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80इग)	473	551
36	जैविक अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80 जत्रक)	8	9
37	विदेशी बैंकिंग इकाइयों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	1	1
38	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	685	798
<b>योग :</b>		<b>6173</b>	<b>6622</b>

\* 31.3.2011 के बाद कटौती समाप्त कर दी गई है।

#### ग. व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर वरीयता उपलब्ध है। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता मुख्यतः वेतन से अपनी आय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ, गैर वेतन भोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का अनुमान 31 दिसम्बर, 2011 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा दाखिल 68,62,807 विवरणियों में अधिमानताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2010-11 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य महत्वपूर्ण कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (65 या अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) तथा महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण था।



68,62,807 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण करदाताओं की संख्या के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान निम्न प्रकार किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं0 21 एवं 22) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं प्रति महिला परित्यक्त राजस्व का उनकी संबंधित संख्या से गुणन कर किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन कर किया गया है। इसके पश्चात इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या पर लगाया गया है। 31 दिसम्बर, 2011 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 68,62,207 है। पिछले वर्ष के 2,93,46,795 अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वर्ष 2010-11 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 3,08,14,135 अनुमानित है। नमूना विवरणियों के अनुसार 5.53 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा शेष विवरणियों का 25.95 प्रतिशत महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) द्वारा दाखिल किया गया। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन 1,60,000 ₹ की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्च बुनियादी छूट सीमा (क्रमशः 2,40,000 ₹ तथा 1,90,000 ₹) के बीच अन्तर और अन्तर पर 10 प्रतिशत (और उपकर) की निम्नतम दर लगाने को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके पश्चात प्रत्येक ऐसे करदाता के कारण परित्यक्त राजस्व की परिकल्पना ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान के आधार पर की गई है।
- (ii) विशिष्ट तौर पर धारा 80-झक, 80-कख, 80-झख और 80-झग (सारणी 7 की क्रम सं0 12 से 15) के अंतर्गत कटौती के मामले में परित्यक्त राजस्व का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों का 90 प्रतिशत है क्योंकि वित्त वर्ष 2010-11 की आय के लिए सभी लेखा परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अंतर्गत थीं।
- (iii) अन्य सभी मामलों में सभी करदाताओं के लिये परित्यक्त राजस्व का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है-
- (क) सबसे पहले आयकर की प्रत्येक 'स्लैब' के लिये, जिसकी कि 'सैम्पल रिटर्न' में अलग-अलग दर है, प्रति कर दाता औसत परित्यक्त राजस्व की गणना की जाती है।
- (ख) द्वितीयता उस आय की स्लैब में कुल व्यष्टि करदाता द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में इसकी कुल करदाताओं के अनुपात से गुणा की जाती है।
- इससे प्रोत्साहन विशेष के लिए आयकर के उस स्लैब के लिए परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है। सभी स्लैबों के राजस्व परित्यक्त को जोड़ने पर किसी विशेष कर प्रोत्साहन के लिए सम्पूर्ण जन संख्या का परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2010-11 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान वर्ष 2010-11 में वैयक्तिक करदाता से प्रत्येक कर प्रोत्साहन को राजस्व परित्याग से वर्ष 2011-12 में संग्रहीत कुल आय के अनुमान से गुणा करके प्राप्त किया जाता है।

जैसा कि ऊपर ब्योरा दिया गया है, सारणी 7 में वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के परित्यक्त राजस्व की दृष्टि से वैयक्तिक करदाताओं पर हुए प्रमुख कर खर्च को दर्शाया गया है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2010-11)	लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2011-12)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	24359	28371
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	124	144
3	नयी पेंशन स्कीम में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	18	21
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	579	674
5	आश्रित विकलांग के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (80घघ)	73	85
6	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा इलाज हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	27	32

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2010-11)	लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2011-12)
7	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	138	161
8	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	288	335
9	हाउसिंग एकोमोडेशन हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	70	81
10	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	70	81
11	राजनीतिक दलों को दिए गए चन्दे के कारण कटौती (80छछग)	7	8
12	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजैड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभ की कटौती (80झक)	29	34
13	एसईजैड अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजैड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	0	0
14	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के नियंत्रण, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	223	260
15	पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रम के लाभों की कटौती (80झग)	288	335
16	जैव द्रव्य उपचयन अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जत्रक)	11	13
17	भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय की कटौती (80थथक)	शून्य	शून्य
18	पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	8	9
19	माता-पिता की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0	0
20	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	85	98
21	अवसंरचना बांडों में कतिपय निवेशों के कारण कटौती (धारा 80गगच)	517	602
22	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतर छूट सीमा	1405	1636
23	महिलाओं के लिए उच्चतर छूट	2334	2718
	<b>योग</b>	<b>30653</b>	<b>35698</b>

विभिन्न बचत लिखतों में निवेशों, गृह ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा बच्चों के लिए शिक्षण शुल्कों के भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) के कारण कर व्यय वैयक्तिक करदाताओं के मामले में एकमात्र सबसे बड़ा कर व्यय है जिसके बाद स्वास्थ्य बीमा किशत (धारा 80घ) के कारण कटौती होती है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए उच्चतर बुनियादी छूट सीमाओं के कारण परित्यक्त राजस्व भी महत्वपूर्ण है। जहां तक मुनाफे से जुड़े कटौतियों का संबंध है, सर्वाधिक कर व्यय आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80-1ख और धारा 80-1ग के कारण है।

## अप्रत्यक्ष कर

### क. उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अनेक मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर ये शुल्क लगाए जाने चाहिए। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरें उत्पाद शुल्क की "टैरिफ दरों" के रूप में ज्ञात हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को जनहित में छूट अधिसूचनाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वह अनुसूचियों में विहित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें विहित कर सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा विहित दरें "प्रभावी दरों" के रूप में ज्ञात हैं।

परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी करने के लिए छोड़कर देय होने वाले शुल्क और सम्बद्ध वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है:-

- उन मामलों में जहां शुल्क की टैरिफ और प्रभावी दरों को यथामूल्य दरों में लगाई जाती है-

$$\text{परित्यक्त राजस्व} = \text{माल का मूल्य} \times (\text{शुल्क की टैरिफ दर} - \text{शुल्क की प्रभावी दर})$$

- उन मामलों में जहां छूट अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ दर यथा मूल्य आधार पर परन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट दरों पर लगाया गया है, वहां -
- $$\text{परित्यक्त राजस्व} = (\text{माल का मूल्य} \times \text{शुल्क की टैरिफ दर}) - (\text{माल की मात्रा} \times \text{विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर})$$
- उन मामलों में जहां टैरिफ दरें और प्रभावी दरें यथा मूल्य और विशिष्ट दरों का योग है, परित्यक्त राजस्व का परिकलन तदनुसार किया जाता है।
  - उपर्युक्त सभी मामलों में शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर होने पर परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्तियों के अलावा, केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2) के जरिए आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में मामला दर मामला आधार पर उत्पाद शुल्क छूट प्रदान करने हेतु विशेष आदेश जारी करने की शक्तियां भी हैं। तथापि, सामान्य छूटों जो केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति का अभिन्न अंग हैं, से हटकर छूट आदेशों को जारी करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों से निपटना है। इसलिए विशेष छूट आदेशों को जारी करने के कारण परित्यक्त शुल्क का परिकलन परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं किया जा रहा है।

देश भर के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में स्वचालन (ACES) की प्रणाली लागू कर दी गई है। अब से देश के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में एसीईएस की व्यवस्था शुरू हो गई है। वर्ष 2010-11 के परित्यक्त राजस्व के संशोधित आंकड़े इसी एसीईएस आंकड़ों, जिनमें अन्य आंकड़ों के अलावा करदाता के द्वारा दाखिल किये गये विवरणी के आंकड़े शामिल हैं, पर आधारित हैं। अब चूंकि सम्पूर्ण वर्ष के प्राप्त राजस्व के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं इसीलिए इसके अनुसार ही परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों का पता लगाया गया है। क्षेत्र आधारित छूट योजना के चलाये जाने के कारण संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंचलों से अलग-अलग आंकड़े प्राप्त हो गये हैं और इनको शामिल भी कर लिया गया है। पिछले बजट में वित्तीय वर्ष 2010-11 के परित्यक्त राजस्व के अनुमान की गणना बहिर्वेशन पद्धति से की गई थी जो कि वर्ष 2010 के अप्रैल-नवम्बर महीनों के आंकड़ों पर आधारित थी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2010-11 का परित्यक्त राजस्व का अनुमान 1,98,291 करोड़ रुपये [(1,87,041 करोड़ रुपये + 11,250 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट पर आधारित)] था। वित्तीय वर्ष 2010-11 का संशोधित परित्यक्त राजस्व जोकि पूरे साल के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, 1,92,227 करोड़ रुपये होता है जबकि वर्ष यह राशि अनुमानतः 198,291 करोड़ रुपये थी।

पिछले वर्ष की तरह चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 के परित्यक्त राजस्व का अनुमान बहिर्वेशन पद्धति से लगाया गया है जो कि आंशिक वर्ष अप्रैल-दिसम्बर, 2011 के एसीईएस आंकड़ों पर आधारित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के परित्यक्त राजस्व का अनुमान 2,12,167 करोड़ रुपये का लगाया गया है जिसमें 12,880 करोड़ रुपये क्षेत्र आधारित छूट के रूप में शामिल हैं।

2,12,167 करोड़ रुपये के अनुमान में पिछले वर्ष के तत्संबंधित संशोधित आंकड़े यथा 1,92,227 करोड़ के मुकाबले 10.37 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। परित्यक्त राजस्व में वर्ष 2010-11 में पंजीकृत आंकड़े से अधिक वृद्धि हुई है क्योंकि वर्ष 2010-11 में अनब्राण्डेड डीजल आयल पर 2.60 रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता रहा जब 25 जून, 2011 से अन ब्राण्डेड डीजल आयल पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई थी जिससे कि परित्यक्त शुल्क में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा, चालू वित्तीय

वर्ष में जनवरी, 2012 तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परित्यक्त राजस्व में हो रही बढ़ोतरी को कुछ हद तक कम कर दिया गया है क्योंकि 130 मदों पर 1% का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (यदि सेनवेट नहीं लिया गया है तो) और 5% का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (यदि आदानों पर सेनवेट लिया गया है तो) लगाया गया है जिनको कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई थी। इसके अलावा 01.03.2011 से रेडीमेड परिधानों पर 10% की दर से अनिवार्य उत्पाद शुल्क भी लगाया गया है।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का प्रश्न है, फिलहाल दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैं - [i] प्रतिदायों पर आधारित और [ii] तुरंत छूट जैसा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में है। प्रतिदायों पर आधारित छूटों के मामले में, परित्यक्त राजस्व की गणना वैयक्तिक इकाइयों को वास्तव में स्वीकृत प्रतिदायों के जोड़ या वर्ष में उनके द्वारा किए गए दावे के आधार पर की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर में 10% की मामूली वृद्धि करने से यह स्पष्ट है कि प्रतिदायों की मात्रा बढ़ेगी।

परित्यक्त राजस्व के आंकड़े नीचे सारणी 8 में दिए गए हैं।

#### सारणी 8 : उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कर व्यय

क्रम सं.	छूट के ब्यौरे	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रूपए में)		
		2010-11	2011-12	
		प्राक्कलन	संशोधित	प्राक्कलन
1	पूर्वोत्तर के राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर; गुजरात के कच्छ जिले में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	11250	10246	12880
2	अन्य	187041	181981	199287
	<b>योग</b>	<b>198291</b>	<b>192227</b>	<b>212167</b>

#### ख. सीमा शुल्क

आयात पर सीमा शुल्क ड्यूटी, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क "टैरिफ दरें" अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसे "टैरिफ दरें" कहा जाता है, में निर्धारित दर से वसूला जाता है। सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम, 1975 में अतिरिक्त सीमा शुल्क की उगाही का भी प्रावधान (जिसे आमतौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या सी वी शुल्क कहा जाता है) है, जिसकी उगाही उसी दर से की जाती है, जो ऐसे माल का विनिर्माण भारत में होने पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर हो। उत्पाद शुल्क की उगाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरसूची अधिनियम, 1985 की अनुसूची एवं विभिन्न वित्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को लोकहित में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गयी है जिससे निर्धारित शुल्क की दर सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दरों से कम हो। अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों को "प्रभावी दरें" कहते हैं।

इस प्रकार परित्यक्त राजस्व को छूट अधिसूचना जारी न होने पर संदेय शुल्क और संगत अधिसूचना के निबंधनों के अनुरूप प्रदत्त शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में,

$$\text{परित्यक्त राजस्व} = \text{मूल्य} \times (\text{शुल्क की दरसूची दर-शुल्क की प्रभावी दर})$$

इस प्रकार, यदि टैरिफ की दर प्रभावी दर के बराबर हो तो परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का प्राक्कलन, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतरण (ई डी आई) अवस्थानों पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतरण प्रणाली (आई सी ई एस) में दायर आगम पत्रों से उत्पन्न डेटा के आधार पर किया जाता है। हालांकि, चूंकि ऐसे पत्रों के आईसीडी एवं सीएफएस माध्यम से किये जाने वाले आयातों के मामलों में ईडीआई प्रणाली आंकड़ों को नहीं पकड़ पाती है अतः जहां भी ई डीआई प्रणाली पूरी तरह काम नहीं कर पा रही है या इससे आगम पत्रों की फाइलिंग अभी भी मैनुअल तरीके से हो रही है, ई डी आई आंकड़ों से सीमा शुल्क परित्यक्त राजस्व की पूर्ण तस्वीर नहीं मिल पाती है। बड़ी मात्रा में आयातों या मैनुअल रूप से निकास किए गये संव्यमहारों के कारण परित्यक्त राजस्व में शामिल करने के उद्देश्य ईडीआई डाटा ने समुचित समायोजन (मुख्यतः परिवर्धन) किये गए हैं। परित्यक्त राजस्व डेटा में मूल सीमा शुल्क ड्यूटी, सी वी ड्यूटी से छूट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाएं भी शामिल की जाती हैं जो सी वी ड्यूटी की उगाही से संगत होती हैं। इसमें 4% की विशेष सी वी डी से छूटें भी शामिल की जाती हैं।

ईडीआई आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010-11 में 107624 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ हालांकि इस वर्ष का एकल राजस्व 135780 करोड़ रुपये का था जिससे 80% के कवरेज का संकेत मिलता है। इसका आशय यह है कि परित्यक्त राजस्व के अनुमान बढ़ी मात्रा तथा प्रतिनिधित्व आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2010-11 के लिए परित्यक्त राजस्व को तैयार करने के उद्देश्य से ईडीआई डाटा को पूणःआवेषटन एवं खाद्य तेल, खनिज एवं अयस्क तथा पेट्रोलियम उत्पादों/कच्चे पेट्रोलियम जो की सीमा शुल्क स्थानों के माध्यम से बढ़ी मात्रा में कार्गो के रूप में सामान्यतः आयात किए जाते हैं जिसमें से कुछ अभी भी ईडीआई पर नहीं है, के कारण राजस्व प्राप्त करने के लिए बढ़ाकर समायोजित किया गया है।

ईडीआई आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010-11 में 107624 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ हालांकि इस वर्ष का एकल राजस्व 135780 करोड़ रुपये का था जिससे 80% के कवरेज का संकेत मिलता है। ई डी आई प्रणाली के कारण उदभूत कुल परित्यक्त राजस्व 184105 करोड़ रुपये का होता है। वर्ष 2010-11 के लिए आवेषटन एवं बढ़ी मात्रा में प्रत्यक्त कार्गो शुल्क के लिए समुचित समायोजन किये जाने के पश्चात् सभी छूट परक अधिसूचनाओं के कारण वर्ष 2010-11 में परित्यक्त शुल्क 230131 करोड़ रुपये होता है जबकि पिछले वर्ष का परित्यक्त शुल्क 228500 करोड़ रुपये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में से (ड्रा बैंक के अलावा) और प्रोत्साहन योजनाओं के वर्ग में से, जिनका उल्लेख नीचे दी गई सारणी-11 के क्र.सं. 14 में उल्लेख है, में से परित्यक्त राजस्व के निकालने के बाद वर्ष 2010-11 का निवल परित्यक्त राजस्व 172740 करोड़ रुपये बैठता है।

वर्ष 2011-12 के परित्यक्त राजस्व का अनुमान तैयार किये जाने के लिए यही पद्धति अपनाई जा रही है। ई डी आई ने इस वर्ष के वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण के लगभग 94% आंकड़ों का पता लगाया है जिससे प्रकट होता है कि ई डी आई के कवरेज में सुधार आया है। अप्रैल, 2011 जनवरी, 2012 की अवधि के लिए परित्यक्त ईडीआई राजस्व के आंकड़े 12 महीनों में बहिर्वेशित किए गए जिससे 276093 करोड़ रु. का आंकड़ा प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में परित्यक्त राजस्व की 20% वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही विभिन्न निर्यात प्रोन्नयन स्कीमों (प्रतिअदायगी को छोड़कर) और नीचे की सारणी-11 के क्रम सं. 14 में उल्लिखित प्रोत्साहन स्कीमों के संवर्ग से परित्यक्त राजस्व को घटाने के बाद वर्ष 2011-12 के लिए परित्यक्त (अनुमानित) निवल शुल्क 223653 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2010-11 में पंजीकृत (पिछले वर्ष से 20% अधिक) परित्यक्त राजस्व की तुलना में परित्यक्त राजस्व बढ़ गया है, क्योंकि वर्ष 2010-11 में कच्चे पेट्रोलियम तेल, पेट्रोल और डीजल पर प्रभावी बुनियादी सीमा शुल्क क्रमशः 5%, 7.5% और 7.5% बना रहा, जबकि 2.5 जून, 2011 से उनके लिए प्रभावी बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर क्रमशः शून्य, 2.5% और 25% कर दिया गया। इस प्रकार 25 जून, 2011 से शेष वित्त वर्ष के लिए परित्यक्त सीमा शुल्क की राशि काफी बढ़ गई है। साथ ही, सीमा शुल्क का आधार (अर्थात् आयात का कुल मूल्य/ मात्रा) चालू वित्त वर्ष में भी बढ़ गया है जैसा कि वित्त वर्ष 2010-11 में इसी अवधि की तुलना में जनवरी, 2012 तक सीमा शुल्क संग्रहण में 12% की वृद्धि से स्पष्ट है।

प्रमुख जिन्स समूहों और सकल परित्यक्त शुल्क में उनके हिस्से के कारण वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 की अवधि में परित्यक्त सीमा शुल्क को सारणी 9 में निम्न प्रकार दिया गया है :-

**सारणी-9 : परित्यक्त राजस्व में प्रमुख जिन्स समूहों का हिस्सा**

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2010-11		2011-12 (अनुमानित)	
	परित्यक्त राजस्व	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत	परित्यक्त राजस्व	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत
कच्चा तेल और खनिज तेल (27)	41200	18	58190	21
मशीनरी (84 और 85)	25137	10	29979	11
हीरा और सोना (71)	49164	21.50	57063	20.75
खाद्य सब्जियां फल, अन्न, वनस्पति तेल (7, 8, 10, 15)	27928	12.75	32682	12
मूल भूत धातुएं और उनसे निर्मित सामान (72 से 83)	12768	5	14747	5.50
केमिकल्स एंड प्लास्टिक (28, 29, 39)	18168	7.50	18395	6.75
वस्त्र (50 से 63)	11393	5.25	12370	4.50
उर्वरक	6039	3	8927	3.25
लवण और अयस्क (25 से 26)	7249	3.25	8785	3.25
दवाईयां	3041	1.25	1611	.60
<b>कुल</b>	<b>201166</b>	<b>87.5</b>	<b>242759</b>	<b>88</b>

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्यायों में से प्रत्येक के लिए परित्यक्त राजस्व का आंकड़ा सारणी में निम्न प्रकार है :

**सारणी :10 सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर व्यय के अनुमान**

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2010-11	2011-12 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	2	4
2	मीट एंड ईडिबल मीट ऑफल	4	5
3	मछली और झींगा अन्य जलचर	27	40
4	डेयरी प्रोडक्ट्स	465	648
5	पशु मूल के अन्य उत्पाद	57	73
6	हरे भरे पेड़ और अन्य पौधे	6	7
7	खाद्य वनस्पतियां मूल और कन्द	3885	4676
8	ईडिबल फ्रूट एंड नट्स	1968	2733
9	काफी, चाय, मांस और मसाले	756	852
10	अनाज	507	106
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	38	28
12	आयलसीड्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट	271	289
13	लाख, गम्स और रेसिन	179	140
14	वेजिटेबल प्लेटिंग सामग्री	1	5
15	एनीमल आर वेजिटेबल फैट्स	21568	25167
16	मीट और मछली की उत्पाद	12	20
17	चीनी	2330	667
18	कोका	182	251
19	अनाज की उत्पाद	39	39
20	सब्जियों की उत्पाद	58	81
21	विविध खाद्य उत्पाद	406	502
22	ब्रीवेरेज और स्प्रिट	237	182
23	खाद्य उद्योग से अवशेष और कूड़ा कबाड़	268	281
24	तंबाकू	71	65
25	नमक, सल्फर, एर्थ और स्टोन	539	914
26	अयस्क	6710	7871
27	मिनरल फ्यूल्स एवं मिनरल तेल	41200	58190
28	इनआर्गनिक केमिकल्स	2903	3902
29	आर्गनिक केमिकल्स	11713	10579
30	फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद	3041	1611
31	फर्टिलाइजर	6039	8927
32	टेनिंग और डाइंग अवशेष और पिगमेंट	492	570
33	ऐसेन्शियल ऑयल	395	417
34	साबुन और धोवन निर्मितियां	168	218
35	अल्बुमिनोइडल सब्सटेंसिस	182	200
36	विस्फोटक, माचिसें	11	5
37	फोटोग्राफी माल	93	107
38	विविध केमिकल उत्पाद	1768	2204
39	प्लास्टिक	3552	3915
40	रबर	2192	2580
41	हाइड एंड स्किन एंड लेदर	378	357

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2010-11	2011-12 (अनुमानित)
42	चमड़े की वस्तुएं	50	66
43	फर स्किन	3	4
44	लकड़ी	1118	1341
45	कार्क	1	2
46	स्ट्रॉ उत्पादक	0	1
47	लकड़ी की लुगदी	621	773
48	पेपर	1716	1795
49	प्रींटेड बुक और अखबार	476	562
50	सिल्क	512	535
51	ऊन	434	467
52	कॉटन	1994	889
53	अन्य वेजिटेबल फाइबर्स	89	102
54	मानव निर्मित फिलामेंट	4052	5337
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	590	695
56	वेडिंग एंड नॉन वोवन	50	50
57	कारपेट	30	31
58	विशेष वोवन फैब्रिक	2396	3279
59	कोटिड टेक्सटाइल फैब्रिक	717	657
60	निटिड फैब्रिक्स	309	265
61	नीटिड रेडिमेंट गारमेंट	66	63
62	वोवन गारमेंट	95	110
63	मेड अप्स	59	100
64	फुटवियर	205	236
65	हेड गियर	4	3
66	छाता	13	17
67	पंख/कृत्रिम फूल	14	4
68	आर्टिकल आफ स्टोन/प्लास्टर	136	146
69	सेरेमिक प्रोडक्ट्स	366	546
70	ग्लास एंड ग्लासवेअर	201	198
71	प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी	49164	57063
72	ऑयरन एंड स्टील	7615	8560
73	आयरन एंड स्टील की वस्तुएं	2168	2626
74	कॉपर एंड और उसकी वस्तुएं	690	1045
75	निकेल एवं उसकी वस्तुएं	238	273
76	अल्युमिनियम और उसकी वस्तुएं	969	1148
78	लीड एंड और उसकी वस्तुएं	270	252
79	जिंक और उसकी वस्तुएं	96	90
80	टिन एंड आर्टिकल्स देयरआफ	77	84
81	अदर बेस मेहल्स	93	123
82	टूल एंड इम्प्लीमेंट	390	359
83	बेस मेटल्स की विविध वस्तुएं	162	186
84	मशीनरी	14298	16792
85	इलेक्ट्रीकल मशीनरी	10839	13187
86	रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक आदि	116	103



अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2010-11	2011-12 (अनुमानित)
87	मोटर व्हीकल	3068	4209
88	एयरक्राफ्ट	1869	2438
89	शिप, बोट और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स	2289	4185
90	ऑप्टिकल/फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स	2958	3138
91	क्लॉक एंड वाचिस	69	78
92	म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट	9	6
93	आर्म्स एंड एम्युनिशन	306	1031
94	फर्नीचर	328	301
95	टायस एंड गोम्स	263	226
96	विविध विनिर्मित वस्तुएं	192	191
97	वर्क आफ आर्ट, एंटीक्स	29	93
98	प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट बैगेज	536	603
	<b>कुल</b>	<b>230131</b>	<b>276093</b>

इन आंकड़ों में प्रतिअदायगी को छोड़कर विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के कार्यकरण से परित्यक्त राजस्व शामिल हैं। अलग अलग निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा पृथक रूप से नीचे दिया गया है। इन स्कीमों में से शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र, टारगेट प्लस, वीकेजीयूवाई भारत और महत्वपूर्ण बाजार से संचालित प्रोत्साहित स्कीम हैं। शेष या तो छूट स्कीम हैं अथवा निविष्ट कर क्रेडिट प्रदान करती है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों को सामान क्षेत्र प्रदान किया जा सके। इस स्कीम में विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों (प्रतिअदायगी को छोड़कर) से परित्यक्त राजस्व को प्रोत्साहन स्कीमों के संवर्ग में आने वाली विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों से परित्यक्त राजस्व की राशि तक कम किए जाने की आवश्यकता है। नीचे की सारणी 11 के क्रम संख्या 15 में ऐसे परित्यक्त राजस्व की राशि दी गई है।

**सारणी 11 : निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व**

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	योजना का नाम	2010-11	2011-12 (अनुमानित)
1	अग्रिम लाइसेंस योजना	19355.28	21035
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	8579.87	4213.57
3	ईपीसीजी	10621.24	9580.36
4	डीईपीबी स्कीम	8756.55	11103.30
5	एसईजेड	8630.16	5313.60
6	डीएफआरसी	43.53	29.22
7	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार योजना	1404	1165.32
8	शुल्क मुक्त पात्रता क्रेडिट प्रमाणपत्र	156.39	167.53
9	टारगेट प्लस योजनाएं	374	1047.20
10	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना	1788.48	2021
11	भारत से सेवा योजना	542	322.65
12	फोकस मार्केट/ उत्पाद योजना	1757.50	3146.41
13	योग	62009	59145
14	घटा - क्रम संख्या 8 से 12 तक प्रोत्साहन योजनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व	4618.37	6704.79
15	निविष्ट कर निष्क्रिय अथवा छूट स्कीमों के कारण परित्यक्त राजस्व को सीमा शुल्क के कारण परित्यक्त सकल राजस्व से घटाए जाने हेतु	57390.63	52440.21

परित्यक्त राजस्व के उपर्युक्त अनुमानों में आपवादिक प्रकृतिक की परिस्थितियों से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12, के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़े सारणी-12-13 में दिये गए हैं।

**सारणी - 12 : वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 में परित्यक्त राजस्व**

(करोड़ रुपये में)

	2010-11 में राजस्व परित्याग	2011-12 में राजस्व परित्याग(अनुमानित)
निगमित आयकर	57912	51292
वैयक्तिक आयकर	36826	42320
<b>कुल</b>	<b>94738</b>	<b>93612</b>

**सारणी - 13 : वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 में परित्यक्त राजस्व (अप्रत्यक्ष कर)**

(करोड़ रुपये में)

	2010-11 में राजस्व परित्याग	2010-11 में वास्तविक कर संग्रहण	2011-12 में राजस्व परित्याग (अनुमानित)	2011-12 में अनुमानित कर संग्रहण
उत्पाद शुल्क	192227	139744	212167	146000
सीमा शुल्क *	172740	135780	223653	153000

\*सीमा शुल्क घटाकर निर्यात जमा संबंधित (सारणी 11 की क्रम सं. 15)

**परिशिष्ट**

उद्योग में नमूना कंपनियों की अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर  
(वित्त वर्ष 2010-11) (नमूना आकार - 458696)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	संदेय कुल कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	कृषि आधारित उद्योग	11356	8169	1958	23.98
2	विनिर्माण	आटोमोबाईल एवं आटो पार्ट्स	4075	34796	9209	26.46
3	विनिर्माण	सीमेंट	689	5597	1230	21.98
4	विनिर्माण	हीरा कटाई	423	1653	319	19.32
5	विनिर्माण	औषधि एवं भेषज	4965	38612	8213	21.27
6	विनिर्माण	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रॉनिक्स	2517	7143	1736	24.30
7	विनिर्माण	इंजीनियरी माल	9400	35479	10704	30.17
8	विनिर्माण	उर्वरक, रसायन एवं पेन्ट्स	3660	15488	4226	27.29
9	विनिर्माण	आटा एवं चावल मिलें	1285	797	233	29.21
10	विनिर्माण	खाद प्रसंस्करण यूनिट	2472	5447	1422	26.11
11	विनिर्माण	संगमरमर एवं ग्रेनाईट	1879	970	281	28.93
12	विनिर्माण	कागज	1439	1719	386	22.48
13	विनिर्माण	पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन	657	41186	9560	23.21
14	विनिर्माण	विद्युत एवं ऊर्जा	4107	79345	17512	22.07
15	विनिर्माण	मुद्रण एवं प्रकाशन	2493	4165	1229	29.51
16	विनिर्माण	रबर	891	736	188	25.61
17	विनिर्माण	इस्पात	4675	29839	8163	27.36
18	विनिर्माण	चीनी	292	1919	504	26.25
19	विनिर्माण	चाय एवं काफी	910	1493	197	13.19
20	विनिर्माण	वस्त्र, हथकरघा तथा पावरलूम	9067	13003	2701	20.77
21	विनिर्माण	तम्बाकू	291	877	259	29.49
22	विनिर्माण	टायर	144	1721	490	28.50
23	विनिर्माण	वनस्पति एवं खाद्य तेल	623	1104	284	25.71

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	संदेय कुल कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
24	विनिर्माण	अन्य	52966	127190	32839	25.82
25	व्यापार	चेन स्टोर	757	573	156	27.33
26	व्यापार	खुदरा विक्रेता	10523	5235	1536	29.34
27	व्यापार	थोक विक्रेता	18131	7075	2140	30.24
28	व्यापार	अन्य	68129	54927	11615	21.15
29	कमीशन एजेन्ट्स	सामान्य कमीशन एजेंट	4154	1285	377	29.34
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	14754	6106	1436	23.52
31	भवन निर्माता	इस्टेट एजेन्ट्स	2769	349	113	32.54
32	भवन निर्माता	सम्पत्ति विकासकर्ता	23821	18065	3680	20.37
33	भवन निर्माता	अन्य	17390	6199	1419	22.89
34	ठेकेदार	सिविल ठेकेदार	8298	13999	3854	27.53
35	ठेकेदार	उत्पाद ठेकेदार	21	7	2	32.21
36	ठेकेदार	वन ठेकेदार	12	2	0	9.68
37	ठेकेदार	खनन ठेकेदार	692	2509	810	32.29
38	ठेकेदार	अन्य	8451	11243	2749	24.45
39	पेशेवर	सनदि लेखापाल, लेखा परीक्षक आदि	66	5	2	33.21
40	पेशेवर	फैशन डिजाइनर	93	44	10	22.11
41	पेशेवर	विधिक पेशेवर	248	29	8	28.81
42	पेशेवर	चिकित्सा संबंधी पेशेवर	1218	210	61	29.26
43	पेशेवर	नर्सिंग होम	924	151	43	28.24
44	पेशेवर	विशेषज्ञ अस्पताल	917	1099	272	24.78
45	पेशेवर	अन्य	5454	1072	330	30.79
46	सेवा	विज्ञापन एजेंसियां	2423	1383	421	30.47
47	सेवा	ब्यूटी पार्लर	192	41	14	35.40
48	सेवा	परामर्शी सेवाएं	13366	11116	2430	21.86
49	सेवा	कुर्रियर एजेंसियां	416	474	176	37.06
50	सेवा	कंप्यूटर प्रशिक्षण, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान	2453	1075	265	24.69
51	सेवा	विदेशी मुद्रा डीलर	638	235	67	28.34
52	सेवा	अतिथि सेवाएं	3299	1453	346	23.80
53	सेवा	होटल	6067	12410	3098	24.96
54	सेवा	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	8648	17978	3836	21.34
55	सेवा	सुरक्षा एजेंसियां	1278	429	153	35.68
56	सेवा	साफ्टवेयर विकास एजेंसियां	9661	41491	7904	19.05
57	सेवा	ट्रांसपोर्टर	3683	5629	1247	22.16
58	सेवा	ट्रैवल एजेंट एवं टूर आपरेटर	3353	1002	280	27.94
59	सेवा	अन्य	49444	53749	13063	24.30
60	वित्तीय सेवाएं	बैंकिंग कंपनियों	290	102820	25351	24.66
61	वित्तीय सेवाएं	चिट फंड	2167	318	101	31.71
62	वित्तीय सेवाएं	वित्तीय संस्थान	321	12746	3151	24.72
63	वित्तीय सेवाएं	वित्त सेवा प्रदाता	2906	5796	1594	27.50
64	वित्तीय सेवाएं	लीजिंग कंपनियों	557	1221	268	21.94
65	वित्तीय सेवाएं	उधार देने वाला	445	115	32	27.54
66	वित्तीय सेवाएं	गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों	8269	27758	7162	25.80
67	वित्तीय सेवाएं	शेयर दलाल, उप दलाल आदि	3951	4849	1488	30.68
68	वित्तीय सेवाएं	अन्य	20213	46843	8984	19.18
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टीवी निर्माण	315	141	42	29.51
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	319	1079	216	19.99
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशालाएं	27	73	7	10.05
72	मनोरंजन उद्योग	मोशन पिक्चर निर्माता	461	287	71	24.80
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	348	2290	738	32.21
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	5088	3143	1100	34.99
<b>कुल</b>			<b>458696</b>	<b>946576</b>	<b>228061</b>	<b>24.09</b>